रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05012022-232424
CG-GJ-E-05012022-232424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943
No. 2]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 4 जनवरी, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रेग्यु019–अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और धारा 13 के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण(बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है, की पहली अनुसूची के प्ररूप-ख के क्रम संख्यांक 12 के स्तंभ (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए., आदि से प्रमाणपत्र:

भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत में व्यवसायरत किसी कंपनी सचिव, भारत में व्यवसायरत किसी लागत

लेखाकार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समुचित अर्हता है, यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र दें कि आवेदक द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम और अधिनियम की धारा 2गक के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।"

3. मूल विनियमों की पहली अनुसूची के प्ररूप-ग के क्रम संख्यांक 14 के स्तंभ (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सी.ए./सी.एस./सी.एम.ए., आदि से प्रमाणपत्र:

भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत में व्यवसायरत किसी कंपनी सचिव, भारत में व्यवसायरत किसी लागत लेखाकार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट समुचित अर्हता है, यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र दें कि आवेदक द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम और अधिनियम की धारा 2गक के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।"

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./558/2021-22]

टिप्पण: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, आसाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रेग्यु-016 द्वारा, तारीख 20 अक्तूबर, 2021 को प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 4th January, 2022

International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2021

IFSCA/2021-22/GN/REG019.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with Section 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations to amend the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 namely:-

1. **Short title and commencement:** -

   (1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2021.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the Principal Regulations) Serial number 12, column (2) of FORM - B of the FIRST SCHEDULE shall be substituted by the following, namely -

   "Certificate from CA/CS/CMA, etc.:

   Provide a certificate from a practicing Chartered Accountant in India, a practicing Company Secretary in India, a practicing Cost Accountant in India or any other person with appropriate qualification, as specified by the Authority, certifying that all the requirements of the Act read with IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 and notifications issued under section 2CA of the Act have been complied with by the Applicant."

3. Serial number 14, column (2) of FORM-C of FIRST SCHEDULE in the Principal Regulations shall be substituted by the following, namely -

"Certificate from CA/CS/CMA, etc.:

Provide a certificate from a practicing Chartered Accountant in India, a practicing Company Secretary in India, a practicing Cost Accountant in India or any other person with appropriate qualification, as specified by the Authority, certifying that all the requirements of the Act read with IFSCA (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 and notifications issued under section 2CA of the Act have been complied with by the Applicant."

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./558/2021-22]

Note: The International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG016 on 20th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.05 19:30:36 +05'30'